कार्यालयः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची।

अल्पकालीन निविदा सूचना

वन भवन परिसर, डोरण्डा राँची स्थित निर्मित विभागीय कैन्टीन के तीन वित्तीय वर्षो(2019–20 से 2021–22) के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान से मुहर बंद लिफाफा (तकनिकी एवं वित्तीय बीड) में निविदा आमंत्रित किया जाता है:–

1.	निविदा सूचना संख्या	02/2019-20
2.	निविदा सामग्री की उपलब्धता	निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से निविदा खोलने की तिथि दिनांक 20.08.2019 के दोपहर 12.00 बजे तक(निविदा शर्त के कंडिका 04 में वर्णित शर्त्त के आधार पर) प्राप्त की जा सकती है।
3.	निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 20.08.2019 के अपराहन् 1.30 बजे तक निविदा समर्पित की जा सकती है।
4.	निविदा समर्पित करने का स्थान	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल राँची के कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर।
5.	निविदा खोलने की तिथि क. तकनिकी बीड प्रपत्र 'क' संलग्न ख. वित्तीय बीड प्रपत्र 'ख' संलग्न	दिनांक 20 .08.2019 के अपराहन् 3.00 बजे
6.	निविदा खोलने का स्थान	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड राँची के कार्यालय कक्ष में।
7	निविदा फार्म का मूल्य एवं जमा किये जाने वाले अग्रधन की राशि	निविदा फार्म का मूल्य : Rs. 500/- अग्रधन की राशि(निविदा शर्त के कंडिका 05 में वर्णित शर्त्त के आधार पर) : Rs. 20000/-

निविदादाता निविदा सामग्री एवं निविदा फार्म की प्राप्ति वन प्रमण्डल पदाधिकारी वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची के कार्यालय से उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर सकते है या विभागीय वेबसाईट : www.forest.jharkhand.gov.in से भी पूर्ण जानकारी हेतु डाउनलोड कर सकते है, इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति/निविदादाता अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से सर्म्पक कर सकते है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
वन्यप्राणी प्रमण्डल राँची।

वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची।
निविदा सूचना संख्या – 02/2019–20

वन भवन डोरण्डा परिसर स्थित जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु निविदा शर्त्त

संविदा अवधि : तीन वर्ष

1. वन भवन डोरण्डा, राँची में वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक की अवधि में संविदा पर जलपान गृह चलाने हेतु विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पदनाम से आमंत्रित की जाती हैं। जलपान गृह का स्थल विवरण निम्नवत है:

वन भवन, डोरण्डा के मुख्य द्वार के समीप निर्मित जलपान गृह।

2. निविदा प्रपत्र (निविदा शर्तो सहित) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची स्थित कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान विहित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के कार्यालय में रखे गए निविदा पेटी में निविदा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे। निविदादाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे निविदा की तकनीकी प्रयत्न/बोली एवं वित्तीय प्रयत्न/बोली अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में डालें जिसके आवरण पर **"तकनीकी प्रयत्न/बोली– जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु निविदा"** एवं **"वित्तीय प्रयत्न/बोली– जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु निविदा"** अंकित हो।

3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएं यथा निर्दिष्ट तिथि/समय पर डोरण्डा स्थित वन भवन में खोली जाएँगी जिस दौरान निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उचित प्राधिकरण –पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं। यदि कोई निविदादाता अथवा उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो इसका प्रभाव निविदा प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा तथा निविदा मान्य होगा।

4. जलपान गृह के लिए एक ही निविदा डाली जायगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500/– (पाँच सौ रू0 मात्र) हैं, जो अप्रत्यर्पणीय(non- refundable) है। कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य नकद रूप में जमाकर मनी रशीद प्राप्त करना होगा जिसे निविदा प्रपत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा। वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा देते समय तकनिकी प्रयत्न/बोली के साथ संलग्न करना होगा।

5. निविदादाता अपनी निविदा के साथ जलपान गृह हेतु सत्यंकार राशि (EMD) के रूप में कुल रू0 20000/– (बीस हजार रूपये मात्र) का बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पक्ष में निर्गत तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो अथवा स्वयं के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो, निविदा प्रपत्र के तकनिकी प्रयत्न/बोली के साथ संलग्न करना होगा।

6. निविदादाता निर्धारित प्रपत्र में जलपान गृह को चलाने हेतु कुल मासिक शुल्क साफ–साफ अंक एवं शब्द में अंकित करेंगे। **अर्पित मासिक शुल्क तीन वर्ष के लिए अंकित किया जायगा।** यह अर्पण वित्तीय प्रयत्न/बोली के रूप में किया जायेगा।

7. निविदा प्रपत्र में निविदादाता अनिवार्य रूप से प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा और समझा है तथा वे सभी शर्तो को स्वीकार करते हैं।

8. सशर्त एवं त्रुटिपुर्ण निविदा अथवा बिना सत्यंकार राशि एवं निविदा प्रपत्र क्रय रसीद/बैंक ड्राफ्ट के समर्पित निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा वैसी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

9. सफल निविदादाता को निविदा की स्वीकृति के संसूचन की तिथि से दस दिनों के भीतर तीन वर्ष की संविदा अवधि के निविदा राशि का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) जमानत राशि विहित रूप में जमा करते हुए संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा। जमानत की राशि बैंक द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पक्ष में निर्गत बैंक गारंटी अथवा निविदादाता के नाम का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के पदनाम को प्लेज्ड (pledged) हो, के रूप में जमा करना होगा।

10. सफल निविदादाताओं द्वारा जमा सत्यंकार राशि यदि विहित रूप में हो तो उसे निविदादाता के लिखित अनुरोध पर जमानत की राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। शेष असफल निविदादाताओं की सत्यंकार राशि निविदाओं पर अन्तिम निर्णय के पश्चात वापस कर दी जाएगी।

11. यदि सफल निविदादाता जमानत की राशि निर्धारित समय पर जमा करने एवं संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई सत्यंकर राशि राज्यसात कर ली जायेगी और द्वितीय निविदादाता को अवसर दिया जायेगा जिस पर प्रथम सफल निविदादाता को किसी प्रकार की आपति उठाने का अधिकार नहीं रहेगा।

12. सफल निविदाता (जलपान गृह संचालक) को पूरे संविदा अवधि की निविदा राशि (शुल्क) मासिक किस्त के आधार पर प्रतिमाह जमा करनी होगी। प्रथम किस्त कार्य प्रारंभ करने का आदेश प्राप्त करने के पूर्व एवं अन्य किस्त संबंद्व महीने की समाप्ति के पूर्व जमा कर देना होगा। ऐसा नहीं करना संविदा के शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा एवं ऐसी स्थिति में संविदा को रद करने तथा जमानत की राशि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची अपने नियंत्रण पदाधिकारी को सूचना देते हुए राज्यसात कर सकेंगे।

निविदादाता के लिए निर्देश एवं कार्य क्षेत्र

13. संवेदक को प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था रखनी होगी। आवश्यकतानुसार छुट्टियों के दिन एवं विभागीय बैठकों के समय निदेशानुसार अल्पाहार/भोजन उपलब्ध करानी होगी।

14. संवेदक(जलपान गृह संचालन जो इसी अर्थ में नीचे भी उद्धत है) को अल्पाहार/भोजन मानक मापदण्ड के पात्रों में उपलब्ध कराना होगा।,

15. संवेदक को सभी अल्पाहार एवं भोजन इच्छुक कार्यालय कर्मियों को नगद भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसकी देयता विभाग पर नहीं होगी।

16. संवेदक द्वारा वन भवन कैम्पस डोरण्डा कैंटीन सर्विस बाह्य लोगों के लिए विस्तारित नहीं किया जायेगा।

17. संवेदक को वन प्रमण्डल पदाधिकारी वन्यप्राणी प्रमण्डल राँची के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

18. कैंटीन में कार्यरत कर्मियों को विभागीय परिसर में रात्रि में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19. संवेदक को खाद्य पदार्थ को ठंडा या गर्म करने के लिए विद्युत उपकरण, फ्रीज आदि एवं LPG का उपयोग स्वंय करना होगा। किसी भी परिस्थिति में किरासन तेल, लकड़ी या कोई अन्य जलावन, जो धुआँ या दुर्गंध देता हो, उसका उपयोग नहीं किया जायेगा।

20. संवेदक को आवश्यकतानुसार Fly Catcher/ U.V Light का प्रयोग मक्खियों/कीटों को भगाने/नियंत्रण के लिए करना होगा।

21. निविदा की अवधि समाप्त होने के पश्चात संवेदक परिसर को उसी रूप में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची को लौटाना होगा। जिस रूप में उन्हें उपलब्ध कराया गया हो। शर्त नहीं मानने के स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई सत्यांकर राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

22. कैंटीन परिसर में कोई अन्य कार्य नहीं किया जायेगा एवं उसके रूप में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

23. कार्यालय परिसर में स्थित जलपान गृह में किसी प्रकार का तेज music चलाने का अधिकार नहीं होगा।

24. जलपान गृह में अच्छे किस्म की खाद्य सामग्रियों को बिक्री हेतु रखनी होगी। यदि घटिया किस्म के खाद्य सामग्रियों की बिक्री की जाती है अथवा इसकी शिकायत विभागीय कर्मचारी द्वारा की जाती है, तो समिति को अधिकार होगा कि वे संचालक पर अर्थदण्ड लगा सकें या संविदा रद कर सकें।

25. जलपान गृह में शराब तथा नशीले पेय/अन्य सामग्रियो की बिक्री एवं उनका सेवन पूर्णतः वर्जित होगा।

26. जलपान गृह में पान, पान मसाला, गुटका, बीड़ी–सिगरेट, तम्बाकू, प्लास्टिक की वस्तुओं आदि सहित सभी प्रकार के नशीले पदार्थो की बिक्री वर्जित होगी।

27. जलपान गृह में बिक्री हेतु रखी गयी खाद्य सामग्रियों का बिक्री दर संचालक द्वारा जलपान गृह के अंदर एवं बाहर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। विभागीय स्तर पर गठित समिति एवं संचालक द्वारा खाद्य सामग्री के दर के नियंत्रण/गुणवत्ता निर्धारण के अनुसार दर मान्य होगें। सभी Cooked items की दर कैन्टीन के लिये गठित विभागीय कमिटि एवं संचालक की सहमति से तय की जाएगी।

28. खाद्य सामग्री की आपूर्ति की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, विशेष कर Cooking Oil, Ghee, मसाले का स्तर प्रमाणिक फर्म/कम्पनी का होना चाहिए।

29. जलपान गृह संचालक को अपना कार्य क्षेत्र साफ एवं स्वच्छ रखना होगा। जलपान गृह में किसी प्रकार की बिक्री, पोलीथीन पैक में नहीं किया जायेगा। जलपान गृह के दीवारों पर दर/तालिका के अतिरिक्त किसी प्रकार का लिखाई–पोताई नहीं करना होगा। जलपान गृह संचालन में उत्पन्न सभी प्रकार के कचड़ा का संग्रहण वन परिसर के बाहर उसका निष्पादन करने की व्यवस्था संचालक स्वयं करेंगे। यदि दीवार पर लिखाई–पोताई पायी जाती है अथवा कचड़ा बिखरा हुआ पाया जाता है तो संचालक अर्थदण्ड के भागीदार होंगे। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा जो संचालक को मान्य होगा।

30. विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्कर, विद्युत उपकरण तथा अन्य सामग्रियों के टूट–फूट की पूरी जिम्मेवारी संचालक पर होगी एवं वैसी स्थिति में सामग्रियों/उपकरणादि की मरम्मति अथवा नई सामग्री खरीदने की जिम्मेदारी संचालक पर होगी।

31. जलपान गृह चलाने के कार्य पर लागू होने वाले सभी अधिनियम/नियम के पालन हेतु संचालक स्वयं जिम्मेवार होंगे। जलपान गृह में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी इत्यादि का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा अधिसूचित दर पर ही संचालक को करनी होगी। यदि भुगतान में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी संचालक पर होगी।

32. जलपान गृह में waiter के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का स्वच्छ परिधान में रहना अनिवार्य होगा।

33. विद्युत अथवा जलापुर्ति बाधित होने पर संचालक को वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जलपान गृह में उपयोग किये गये विद्युत खर्च का वहन संचालक को करना होगा। इस हेतु संचालक को अपने खर्च पर एक सबमीटर लगाना होगा और सबमीटर में दशार्यी गयी यूनिट की राशि का भुगतान संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को किया जायगा। (अगर संचालक को डी.जी. सेट कनेक्शन की आवश्यकता हो तो संबंधित वनक्षेत्र पदाधिकारी को आवेदन देकर कनेक्शन ले सकते है और इसके लिए वनक्षेत्र पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उसका भुगतान करना होगा।

34. संचालक द्वारा **विद्युत हीटर** का उपयोग नहीं किया जायेगा।)

35. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, रॉंची द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में जलपान गृह के संबंध में निर्देश जारी किया जाता है तो जलपान गृह संचालक द्वारा उसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

36. निविदा की ऐसी शर्ते, जिनके उल्लघंन के लिए दंडात्मक/निवारक प्रावधान अंकित नहीं है, का जलपान गृह संचालक (सफल निविदादाता) द्वारा उल्लंघन किए जाने पर समिति को अधिकार होगा कि वे स्वविवेकानुसार दोषी संचालक पर यथोचित अर्थदण्ड लगाएँ अथवा जमानत की राशि राज्यसात करते हुए संविदा रद कर दें।

37. निविदा अवधि(तीन वर्षों के लिये) के अंदर अगर सफल निविदादाता द्वारा स्वंय के कारणों से जलपानगृह का संचालन बन्द कर दिया जाता है, तब वैसी परिस्थिती में निविदादाता को निविदा अवधि के बचे हुये समय के लिये निर्धारित मासिक शुल्क वन विभाग के पक्ष में अदा किया जाना बाध्यकारी होगा। इसे जमा नही करने पर इसकी सूद सहित वसूली हेतु यथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

38. विशेष परिस्थिती में वन भवन के किसी भी कार्यालय में किसी तरह की बैठक, सरकारी कार्यक्रमों इत्यादि के लिये सफल निविदादाता को पूर्व में सूचना दिये जाने पर निर्देशानुसार आवश्यक जलपान/भोजन से संबंधित पैकटों आदि को भी उपलब्ध कराना होगा। इसका भुगतान करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय की होगी।

39. वन भवन, डोरण्डा में कार्यरत किसी भी स्थाई/अस्थाई कर्मचारी अथवा दैनिक मजदूर को निविदा समर्पित करने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी कर्मचारी का जलपान गृह के संचालन/निविदा मे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होने के प्रमाण पाये जायेगे तो दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारी को बिना कोई नोटिस दिये कार्य से हटा दिया जायेगा एवं स्थायी कर्मचारी के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

40. यदि आवश्यक हो तो निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यावधि के दौरान सम्पर्क स्थापित कर निविदा के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा शंका निवारण किया जा सकता है।

41. इन शर्तो के अतिरिक्त अगर किसी संबद्व विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो सफल निविदादाता (जलपान गृह संचालक) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पास अपील कर सकते है जिनका निर्णय अन्तिम होगा एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

42. समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।

43. निविदा अवधि न्यूनतम तीन वर्ष के लिये मान्य होगा। इससे कम अवधि के लिये प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

44. कैंटीन परिसर मे Cooking, ग्राहको के बैठने की व्यवस्था तथा सभी साजो–सामान संचालक के द्वारा स्वंय की जायेगी, जो एक साफ सुथरा सुव्यवस्थित कैन्टीन के रूप में दिखना चाहिए।

45. असफल निविदादाता की EMD राशि निविदा पर अंतिम निर्णय के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जायेगी।

46. निविदादाता को एक घोषणा पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसे असत्य पाये जाने की स्थिती में उसके विरूद्ध यथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

47. जमानत राशि निविदा अवधि की समाप्ति के एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी, यदि बीच मे उसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्यसात नहीं कर लिया गया हो।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची।

कैंटीन के संचालन हेतु निविदा

Technical Bid एवं **Financial Bid** की विवरणी निम्नवत् है, जिसका अलग अलग लिफाफा (लिफाफा के उपर लिखा होना चाहिए) निविदादाता को निविदा समर्पित करने के समय देना अनिवार्य है:–

A. **Technical Bid-** इस हेतू संलग्न प्रपत्र(क) भर कर देना अनिवार्य है।

B. **Financial Bid-** इस हेतू संलग्न प्रपत्र(ख) के बिन्दू (1) के आलोक में सूचनायें देना अनिवार्य है।

Note:- Technical Bid की सभी शर्तों को पुरा करने के उपरान्त ही Financial Bid को खोला जायेगा।

प्रपत्र–(क)

1. फर्म/आवेदक का नाम –
2. पोस्टल पता–
3. टेलीफोन नं0 – Landline-
   (यदी हो तो) Mobile-
4. Email address (यदी हो तो) -
5. यदी आवेदक किसी नियम/अधिनियम से संबंधित वाणिज्यीक कार्रवाई हेतू निबंधित है–
   (i.) . हाँ/नहीं
   (ii.) यदी हाँ तो कृपया निम्न सुचना दें:–
      (क) निबंधन संख्या–
      (ख) निबंधन वर्ष–
      (ग) अवधि–
      (घ) प्रमाण पत्र की प्रति–

6. GST–
   (क) निबंधन संख्या–
   (ख) निबंधन पत्र की प्रति–
   (ग) दिनांक 31.03.2019 तक की Return की प्रति–

7. PAN-
   (क) पैन संख्या–
   (ख) पैन की छायाप्रति–
   (ग) वर्ष 2018–19 Assesment वर्ष के आयकर Return की प्रति–

8. आवेदक द्वारा रेस्ट्रारेन्ट /कैन्टीन /मिठाई दूकान/भोजनालय के व्यवसाय का न्युनतम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव के साक्ष्य हेतु आवेदक द्वारा GST निबंधन / PAN कार्ड / दुकान का निबंधन अथवा किसी भी सरकारी विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतू कराये गए निबंधन की प्रति संलग्न की जाय। निबंधन की तिथि से निविदा की तिथि तक की अवधि अनुभव अवधि हेतु मानी जाएगी।

9. निविदा दाता को न्युन्तम 100 रूपये के E-Stamp paper पर नोटरी के समक्ष किये गये घोषणा पत्र की प्रति देनी होगी जिसमें इस आशय की सुचना हो कि उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

10. Earnest money का Bank Draft जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल रॉची के पदनाम से होगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर

प्रपत्र–(ख)

1.कैन्टीन का किराया (प्रति माह के दर से राशि अंकित करना है।)

निविदादाता का हस्ताक्षर

वन प्रमण्डल पदाधिकारी वन्यप्राणी झारखण्ड रॉंची
वन भवन डोरण्डा परिसर स्थित जलपान गृह संविदा पर चलाने हेतु निविदा प्रपत्र–
संविदा अवधि : 2019–20 से 2021–22
निविदा प्रपत्र का मूल्य : रू0 500/–
मूल्य भुगतान का मनी रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

कार्यालय उपयोग हेतु
निविदा प्रपत्र सं0 :
मनी रसीद सं0/तिथि:
हस्ताक्षर

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची।

विषय : वित्तीय प्रयत्न/बोली।

महाशय,

राँची डोरण्डा स्थित वन भवन में जलपान गृह को वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक संविदा पर चलाने के लिए निविदा समर्पित कर रहा हूँ। मैने निविदा शर्तो को पढ़ा एवं समझा है तथा सभी शर्तो को स्वीकार करता हूँ। मेरे विरूद्व आयकर विभाग अथवा केन्द्र/राज्य सरकार का कोई बकाया नहीं है। साथ ही मेरे विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

1. निविदादाता का नाम :

2. निविदादाता के पिता/पति का नाम :

3. पता : (क) वर्तमान पता :

   (ख) स्थाई पता :

4. निविदादाता के पत्राचार का पता :

5. (i) फोन सं0 :

   (ii) ई–मेल :

6. निविदादाता द्वारा जलपान गृह के लिए साज–सज्जा, साफ–सफाई एवं अनुकुल वातावरण रखने हेतु किये जाने वाले प्रावधानों का संक्षिप्त व्योरा :

7. निविदादाता द्वारा जलपान गृह में बनाये जाने वाले शाकाहारी व्यंजनों की सूची

8. निविदादाता द्वारा जलपान गृह के कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव (इसके साक्ष्य में अभिलेख के रूप में जिस संस्था के अन्तर्गत जलपान गृह चला रहे हो, उनका प्रमाण–पत्र संलग्न करे)

9. **अर्पित दर :**

क्र0 सं0	अवधि	निविदादाता द्वारा ऑफर किया गया मासिक शुल्क		अग्रधन का व्योरा
		अंकों में (रू0)	शब्दों में (रू0)	
1	तीन वर्ष			

1. फर्म निबंधन प्रमाण पत्र/पेन कार्ड/यदि निविदादाता व्यक्ति के रूप में निविदा समर्पित करतें है तो स्वय के नाम का अचल सम्पति का रजिस्ट्री कागजात।
2. GST में निबंधन का प्रमाण पत्र।
3. सरकरी कैन्टीन से संबंधित सभी सरकारी टैक्सों को देय संचालक की जिम्मेवारी होगी।

विश्वासभाजन

निविदादाता का हस्ताक्षर